जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

अवैद्य रुप से बिजली उपभोग पर सात हजार चार सौ सोलह रुपए का जुर्माना

जुर्माना अदा नही करने पर भुगतना होगा एक माह का कारावास

जयपुर, 16 फरवरी। बिजली मीटर के आई सी फेस व न्यूट्रल टर्मिनल में सर्विस लाईन के अलावा दो इन्सूलेटेड वायर जोड़कर मीटर को बाइपास करते हुए अवैद्य रूप से विद्युत का उपभोग करते हुए पकड़े जाने के प्रकरण में दायर परिवाद पर सक्षम न्यायालय ने कोठी गुलजार बाग, भरतपुर निवासी श्रीमती कश्मीरी एवं गोपाल को संयुक्त रूप से सात हजार चार सौ सोलह रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है तथा आदेश दिया है कि यदि अभियुक्त जुर्माना राशि अदा नहीं करते है तो उन्हें एक – एक माह का साधारण करावास भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब है कि माह नवम्बर, 2004 में निगम की सर्तकता टोली ने जांच के दौरान अभियुक्त के मकान में स्थापित बिजली मीटर की जांच में यह पाया कि मीटर को बाईपास कर विद्युत का अवैद्य उपभोग किया जा रहा है। इस पर जांच अधिकारी ने मौके पर ही वीसीआर भर बिजली चोरी में अवैद्य रूप से उपयोग की गई सामाग्री को जप्त किया तथा इस प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया था।

विशिष्ठ न्यायाधीश (विद्युत) अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या –1, भरतपुर ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण को दोषी घोषित किया। इस अपराध के लिए अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से सात हजार चार सौ सोलह रूपये का जुर्माना एवं दो हजार चार सौ बहत्तर रुपये की सिविल लाईबिलीटी निर्धारित कर जयपुर विद्युत वितरण निगम में जमा कराने के आदेश दिये।

....

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 273/2012